निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –85 / 2023

मुरलीधर पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी ग्राम खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़। ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति धापू बाई पत्नि उंकार गुर्जर जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ग्राम खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री पी.के.बिल्लू।
अप्रार्थीः– 01 एकतरफा कार्यवाही
02 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 04.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के सयुंक्त खाते की कृषि आराजीयात जो ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 340 सम्वत 2076–79 खसरा संख्या 176, 228, 234, 239 कुल किता 04 कुल रकबा 1.6400है0 लगानी 10.71 पैसे जो खाते में मुझ प्रार्थी के 1/4 तथा अन्य सहखातेदारान कमला पत्नि मांगीलाल के 1/4 व रामकिशन पुत्र गणपत के 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। में प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। श्रीमति कमलाबाई का निधन हो चुका है। कमला बाई मेरी मां है। मेरे अलावा कमला का ओर कोई वारिस नहीं है, रामकिशन का निधन हो चुका है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात खाता संख्या 340 के आराजी संख्या 176 पर आने जाने का रास्ता ग्राम खातीखेडा के आराजी संख्या 172 जो श्रीमति धापू बाई पत्नि उंकार गुर्जर निवासी ग्राम खातीखेडा वाले के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, मे से होकर मुझ प्रार्थी की कृषि आराजी संख्या 176 पर जाता है, उक्त रास्ता मेरे बाप दादाओं के समय से ही बना हुआ है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही होने से आये दिन परेशानियों का सामना करना पडता है, अभी अप्रार्थी संख्या 01 ने रास्ते की जमीन को हांक कर फसल खडी कर दी है तथा ऐलानिया धकमी देरही है कि में अब तुम्हे इस रास्ते से निकलने नहीं दूंगी, दसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने हेतू न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है प्रार्थी के इस खेत पर आने जाने का ओर कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया को करीब तीस फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए अप्रार्थी के खाते में से दिलाया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम खातीखेडा की आराजी संख्या 176 में आने जाने हेतू आराजी संख्या 172 मे रास्ता कायम कर तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 न्यायालय में उपस्थित [illegible] के विरूद्ध दिनांक 10.10.2023 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पा[illegible] [illegible]क्षीगण संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 29.12.2023 [illegible] रिपोर्ट अनुसार ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा [illegible] 228, 234, 239 कुल किता 04 कुल रकबा 1.64 है0 भूमि मुरलीधर पिता मांगीलाल [illegible] 1/4, कमला पत्नि मांगीलाल हिस्सा 1/4, रामकिशन पिता गणपत हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण के नाम सहखातेदारी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 176 तक पहुंचने के लिए रास्ता दर्ज नहीं है, उक्त आराजी पर पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा ग्राम खातीखेडा की आराजी संख्या 172 रकबा 0.48है0 भूमि जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

कि धापूबाई पत्नि उंकार गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके उतरी मेड से रास्ता चाहा गया है। ग्राम खातीखेडा की आराजी संख्या 184 रकबा 0.63है0 भूमि गै0मु0 रास्ता बिलानाम ना. काश्त दर्ज है उक्त मुख्य रास्ते से मौके पर आराजी संख्या 173, 174, 172 मे होकर रास्ता चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी संख्या 175 रकबा 0.82 है0 भूमि भी धापूबाई पत्नि उंकार गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 172 में से (लम्बाई 48X5 चौडाई) 240 वर्गमीटर व आराजी संख्या 175 मे से (लम्बाई 124 X 5 चौडाई) 620 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आ रही है। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 568000/– रू प्रति हैक्टयेर एवं 56.80 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि आराजी संख्या 175 मे से 620 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी रेट के हिसाब से 56.80X620=35216 रू बनती है। जिसका दोगुना शुल्क 35216 X2=70432 प्रार्थी को जमा कराना होगा।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा वे वर्तमान में विपक्षी की आराजी संख्या 175, 172 से मेड के सहारे सहारे रास्ता चाहा गया। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–251 (ए) बाबत ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की खाता संख्या 340 सम्वत 2076–79 खसरा संख्या 176, 228, 234, 239 कुल किता 04 कुल रकबा 1.6400है0 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 175 में से जो न्यूनतम दूरी का मार्ग होने से तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 620 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 568000/रू. अनुसार कीमत 35216/रू. की दुगुनी दर से राशि 70432/रू. (अक्षरे रूपये सत्तर हजार चार सौ बत्तीस रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 1 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में ... तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, ... की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा